न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– अखिलेश कुमार पिपल (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–01/2019 (विविध)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00005

उनवान

1. कैलाशी } पिसरान मान सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम इन्द्रौली उप तहसील मनियॉं
2. ओमप्रकाश } तहसील व जिला धौलपुर।

.....................अपीलाण्ट

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर, जिला धौलपुर।

.... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दि0 08.01.2019 प्र0स 27/2018 उनवान कैलाशी वनाम सरकार।

उपस्थित :– श्री सुरेश कटारा अधिवक्ता अपीलाण्ट।
श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक :– 31.03.2021

1. यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 08.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रैस्पो0 ने अधीनरथ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2906/213 रकवा 04 विस्वा, 2907/214 रकवा 13 विस्वा वाके ग्राम विरोधा तहसील धौलपुर अप्रार्थी/अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी/अपीलाण्ट को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है परन्तु अप्रार्थी/अपीलाण्ट उक्त आराजी को अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने अपने अधिकारो का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनरथ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई आदेश दिनांक 08.05.2018 से स्वीकार करते हुये, विवादित भूमि को कब्जे राज लेने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र रिव्यु अधीनरथ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनरथ न्यायालय ने बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है। विवादित जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को कोई सम्मन नहीं भेजा एवं ना ही कोई तामील करायी एवं ना ही पत्रावली पर तामील शुदा कोई सम्मन ही संलग्न है। अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है अपीलाण्ट को उक्त दिवस की भी कोई सूचना नहीं दी गयी परन्तु आदेशिका में उपस्थिति दर्ज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय को लोक अदालत में निर्णय का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में सुनवाई का मौका ना देकर मनमाने तरीके से सहज व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत बिना जानकारी के आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.10.2017 में नोटिस बाद तामील प्राप्त नहीं, पी0ओ0 महोदय दीगर कार्य में व्यस्त हैं, दिनांक 06.12.2018 को पी0ओ0 साहब दीगर कार्य में व्यस्त तथा दिनांक 10.04.2018 को दीगर कार्य में व्यस्त हैं। अपीलाण्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये एवं दिनांक 08.05.2018 को अपीलाण्ट को बिना सुने लोक अदालत में विवादित आराजी से खातेदारी समाप्त कर सिवायचक कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय ना तो पटवारी हल्का तक का बयान नहीं लिया जबकि उनका बयान आवश्यक था। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि राज्य सरकार की यह नीति है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कृषि भूमि में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य कर लिया है तो उचित रकम ली जाकर उसका निर्माण कार्य वैध या नियमित किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट को कोई मौका ही नहीं दिया। अपीलाण्ट के पास इस आराजी के अलावा अन्य कोई साधन जीविकोपार्वन के लिये नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1956 पेज 26, 139, 2007 पेज 820, डीएनजे 2005(3)(राज0एच0सी0) पेज 1642, एआईआर 1997 पेज 1300 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तृत विवेचना उपरान्त ही निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित आराजी पर पक्का निर्माण कर ढाबा संचालित कर रखा है जो कानूनी रूप से अवैध है। अपीलाण्ट ने कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारो का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुँचाकर शर्त भंग की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को उचित ही विवादित आराजी से बेदखल किया जाकर, विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया है। अपीलाण्ट की समस्त आपत्तियॉ सारहीन है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कही भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलाण्ट को नोटिस की तामील हो चुकी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 10.04.2018 को अग्रिम पेशी दिनांक 16.07.2018 नियत की गयी थी। किन्तु अग्रिम पेशी दिनांक 16.07.2018 से पूर्व ही प्रकरण दिनांक 08.05.2018 को राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलाधीन निर्णय में भी अपीलाण्ट/अप्रार्थी की उपस्थिति का कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

उल्लेख नहीं है। जबकि आदेशिका दिनांक 08.05.2018 में अप्रार्थी/अपीलाण्ट की उपस्थिति अंकित कर रखी है। परन्तु आदेशिका में अप्रार्थी/अपीलाण्ट अथवा उनके अभिभाषक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निस्तारित किया गया है। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। राजस्व लोक अदालत का भी उद्देश्य केवल यही था कि आपसी सहमति एवं राजीनामें के आधार पर चल रही पत्रावलियों का निस्तारण किया जावें। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस प्रकार बिना राजीनामा एवं पक्षकार की बिना तामील कराये, नियत तिथि 16.07.2018 से पूर्व दिनांक 08.05.2018 को राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखकर पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 08.05.2018 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 31.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-03-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील अधिकारी एवं
कार्य0भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर